

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

-: अधिसूचना :-

सं0सं0-04/न्या0-06/2014

713

दिनांक- 19/3/18

WP(C) No.- 55/2003 एवं 572/2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-10.01.2018 को पारित न्यायादेश एव इसी क्रम में भारत सरकार के पत्रांक-M-13/23/2017-UPA-I sec.-MHUPA(EFS-9026963) दिनांक-15.01.2018 के निदेश के आलोक में आश्रयविहीनों के लिए संचालित आश्रय स्थल के प्रगति एवं अनुश्रवण हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कमिटी का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1. श्री गिरीश शंकर, से0नि0, भा0प्र0से0 - अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग - सदस्य
3. सुश्री डोरोथी फर्नांडीस, सामाजिक कार्यकर्ता - सदस्य

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्य के राज्यपाल के आदेश से

हृष-

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/न्या0-06/2014

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 संलग्न) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

हृष-

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-04/न्या0-06/2014

713

पटना, दिनांक- 19/3/18

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, बुडा/निदेशक, बुडको/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत/सभी संबंधित पदाधिकारी/टीम लीडर, PAM-NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।